(02)

संख्या– 3४८ /XVII-1/2019–11(01)/2017

प्रेषक,

एल0फेनई,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–01 देहरादून, दिनांक 26 सितम्बर, 2019

विषय–अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास हेतु जनपद ऊधमसिंहनगर के बाजपुर में एकलब्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु पदों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1342/ज0जा0क0/ए0आ0आ0वि0/ 2019–20 दिनांक 12 जून 2019 का सन्दर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास हेतु जनपद ऊधमसिंहनगर के बाजपुर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई हैं विद्यालय में शैक्षिक उन्नयन/संचालन हेतु निम्न विवरणानुसार निम्न अस्थायी पदों को उनके नाम के सम्मुख अंकित वेतनमान में दिनांक 29.2.2020 तक के लिए वशर्ते कि ये पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न किये जाय, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान/वेतन गैटिक्स लेवल (रूपये में)	भर्ती का श्रोत	पदों की संख्या
1.	प्रधानाचार्य	78800--209200 लेवल--12	पदोन्नति द्वारा	01
2.	प्रवक्ता (कला,विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय)	47600--151100 लेवल--8	पदोन्नति द्वारा	06
3.	सहायक अध्यापक एल0टी0	44900--142400 लेवल--7	सीधी भर्ती	09
4.	कनिष्ठ सहायक/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	21700--69100 लेवल–3	सीधी भर्ती	02
5.	अनुसेवक	---	आउटसोर्स के माध्यम से	05

2. उक्त पद के धारकों(क्रमांक–5 को छोड़कर) को उक्त पद का वेतन के अनुसार समय–समय पर शासन द्वारा प्रशासनिक आदेशों के अनुसार अनुमन्य महगांई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होगें।

3. विद्यालय में कक्षाओं का संचालन एकलब्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी के समकक्ष ही कक्षा 06 में 12 तक संचालित किया जायेगा। जिसमें प्रतिकक्षा 6 छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा। इस प्रकार विद्यालय में कुल 420 छात्र–छात्रा शिक्षा प्राप्त करेगें।

4. उपरोक्त स्वीकृत पदों पर नियुक्ति न्यूनतम आवश्यकतानुसार की जायेगी उक्त स्वीकृत पद पदोन्नति तथा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने प्रस्तावित है जिन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त नहीं किया जा सकता है। आउटसोर्सिंग के पदों को छोड़कर अन्य स्वीकृत किए जा रहे पद धारकों को शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते भी नियमानुसार देय होगें।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–31 के लेखाशीर्षक –2225–अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–001–निदेशक तथा प्रशासन–02–एकलव्य आवासीय विद्यालयों का संचालन की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जाएगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–88(म)/XXVII(3)/2019-20 दिनांक 12/9/2019 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एल0फैनई)
सचिव

P.C. Attested

Principal
Eklavya Model Residential School
Bazpur (U.S. Nagar)

संख्या– (1)/XVII-1/2019–11(01)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, कुमांऊ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त संवाए, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग/वित्त अनुभाग–03 उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
12. आदेश पंजिका

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
संयुक्त सचिव